

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/891

दिनांक 19/04/2022

प्रार्थीगण :-

1.हमीरदान 2.भीमदान 3.पीरदान 4.नरसिंगदान
पि. चालकदान 5.चांदीदेवी पत्नि चालकदान ,
जातियान चारण, निवासी दीनगढ़
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण :-

1.पपूदेवी पत्नि अर्जुनराम 2.टीकमराम पुत्र
लाखाराम, जाति सुथार, 3.जीवराजसिंह 4.रूपसिंह
पि.डूंगरसिंह, जाति पुरोहित निवासी ईटादा
5.बखतू पत्नि मोडाराम 6.हेमाराम 7.उगराराम
8.अणदाराम 9.देवाराम 10.मलाराम पि.हरखाराम,
11.बांकाराम पुत्र आदूराम, जातियान जाट, निवासी
श्रीरामवाला 12.मीयाखान 13.सलाम 14.रजाक पि.
खानूखां 15.बाबूखां पुत्र अमरा खां 16.मिसरी पुत्र
मनाई खां 17.मोहमद पुत्र कमाल खां 18.लखमीर
पुत्र अमरा खां 19.मुहीब पुत्र मनाई खां 20. जमील
पुत्र कमालखां , जातियान मुसलमान, निवासी खानू
का तला (श्रीरामवाला), तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 83/2021

दिनांक : 18.04.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा दीनगढ़ के खेत खसरा सं. 177 रकबा 38.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 892 to 895

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण हमीरदान वगैरा
3. विप्रार्थीगण पपूदेवी वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 19/04/2022

(भागी II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन